तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

21 जनवरी 2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आलौच्य अपील विचाराधीन रहने के दौरान प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 जनवरी 2018 के खिलाफ प्रस्तुत निगरानी संख्या निगरानी/टी.ए./1332/2018 श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ बनाम बाबा रामदेव भण्डारा सेवा समिति दिनांक 27 जून 2022 को स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अदालत हाजा को दिये गये निर्देशों के अनुसरण में सीपीसी के प्रावधानों के तहत पक्षकारान की बहस सर्वप्रथम धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत सुनी गयी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि जनवरी 2009 के प्रारम्भ में अपीलाण्ट द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर पक्षियों के दाना चुगने के लिए चबुतरे का निर्माण आरम्भकिया गया तो वहॉ पर स्वयं को रेस्पो. जैन श्वेताम्बर संघ का सदस्य बतातेहुए कुछ लोगों ने आकर विवादकिया और बताया कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। इस पर अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की गयी, जिसमें म्युटेशन संख्या 563 के जरिये खातेदारी दर्ज किया जाना अंकित था। इस पर म्युटेशन संख्या 563 की दिनांक 02 जनवरी 2009 को नकल ली गयी, जिसमें उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 19 मार्च 1987 का उल्लेख था। तब अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन किया, जो काफी प्रयासों के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ, और मात्र दिनांक 19 मार्च 1987 के एक पत्र की फोटो कॉपी ही प्राप्त हुई जिसमें राजस्व वाद संख्या 28/87 फैसला दिनांक 09 मार्च 1987 का उल्लेख था, जिसके आधार पर उक्त निर्णय की नकल दिनांक 22 अप्रेल 2009 को प्राप्त की जाकर कानूनी सलाह ली गयी। तदनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की विधिवत जानकारी दिनांक 22 अप्रेल 2009 को होने के बाद जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील दिनांक 04 मई 2009 को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध किया और अपील मियाद–बाधित होने से खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 मार्च 1987 के जरिये रेस्पो. संख्या एक को आराजी खसरा संख्या 1383 रकबा 2 बिस्वा (बेरा महाजनोंवाला), खसरा संख्या 1384 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1385 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके मौजा मण्डोर का खातेदार घोषित किया गया। जिसके अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद भी हुआ। मौके पर रेस्पो. संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा चारदीवारी एवं 5 मन्दिर भी निर्मित कराये हुए है तथा पुराने रहवासीय कच्चे पडवे, टीनशेड आदि भी अस्तित्व में है। वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट का कोई अधिकार एवं कब्जा नहीं है। सन्1996 में अपीलाण्ट बाबा रामदेव जरिये गोपालसिंह पुत्र देवीजी जाति माली द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने एवं तोड–फोड करने का प्रयास किया गया, तो रेस्पो. संख्या एक की ओर से अपने सचिव के मार्फत धारा 145 व 146 सीआर.पी.सी. के तहत कार्यवाही की गयी, जिसमें स्पष्टरूपेण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनंक 09 मार्च 1987 का हवाला दिया गया। उक्त कार्यवाही को अपीलाण्ट सहित दोनों पक्षों द्वारा कन्टेस्ट किया गया। जाहिर है कि उक्त कार्यवाही में अपीलाण्ट को निश्चय ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 मार्च 1987 बाबत जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। इसके अलावा दिनांक 12 सितम्बर 1996 को रेस्पो. संख्या एक की ओर से रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी और अपर सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड संख्या 2, जोधपुर में वाद भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कमिश्नर की मौका रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो. संख्या एक का कब्जा होना जाहिर किया गया है। अपीलाण्ट का यह कहना हास्यास्पद एवं अविश्वसनीय है कि 1987 से 2009 तक करीब 22 वर्षो की अवधि में अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 मार्च 1987 बाबत राजस्व रेकर्ड की कोई जानकारी नहीं रही। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता–रेस्पो. ने AIR 1998 SC 2276, AIR 1960 SC 260, 2013(2) DNJ 750, 2000 RRD 375, 1998 RRD 497, 2000 RRD 547, 2000(1) RLW 256, 2004(1) RLW 144, AIR 2013 SCW 6510, 2004(1) CCC 369, 2010(4) CCC 551, 2009(2) CCC 371, 2010(1) CCC 381, 2000(1) CCC 70, 2001(2) 1145, 2004 RRD 19 और 2007 RRD 739 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया और पत्रावली एवं प्रस्तत नजीरों का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 मार्च 1987 के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष करीब 22 वर्षो की अवधि व्यतीत होने के बाद दिनांक 04 मई 2009 को प्रस्तुत की गयी है, और विलम्ब को कण्डोन किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत दिनांक 22 अप्रेल 2009 को विधिवत जानकारी होना अंकित किया गया है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या एक के मध्य वादग्रस्त आराजी बाबत सीआर.पी.सी. की धारा 145 के तहत संस्थित प्रकरण में (जो दोनों पक्षों द्वारा कन्टेस्ट किया गया) अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 मार्च 1987 का अंकन भी हुआ है। जिससे जाहिर है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की कार्यवाही के दौरान भलीभांति जानकारी हो चुकी थी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समक्ष उक्त कार्यवाही संख्या 99/96 सरकार बनाम गोपसिंह व अन्य में अप्रार्थी संख्या एक गोपालसिंह पुत्र श्रीदेवजी माली ने जो जबाब दिनांक 22 अक्तूबर 1996 को प्रस्तुत किया है, उसमें स्वयं को बाबा रामदेव मंदिर का अध्यक्ष होना जाहिर किया है और अपने जबाब के पेज संख्या 6 पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09 मार्च 1987 का उल्लेख भी किया है। जिससे जाहिर है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09 मार्च 1987 बाबत जानकारी उक्त जबाब प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही भलीभांति हो चुकी थी।

इन परिस्थितियों एवं प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में अपीलाधीन निर्णय बाबत सर्वप्रथम जानकारी की सत्य एवं सही दिनांक अंकित नहीं कर गलत तथ्यों के आधार पर जानकारी की मिथ्या तारीख अंकित करते हुए प्रार्थनापत्र पेश किये जाने से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, जो तदनुसार खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलाण्ट मियाद बाधित के कारण पर खारिज की जाती है। अपील प्रकरण फैसलशुमार किया जाकर नम्बर से कम किया जावे और विचारण न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित लौटाया जावे। मिसल बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर